रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 71] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 1984/फाल्गुन 4, 1905

No. 71] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 1984/PHALGUNA 4, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1984

का. आ. 109(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, बैंक आफ बड़ौदा के अनुरोध पर 23-2-1984 से बलसाड़ डांग ग्रामीण बैंक नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि गुजरात राज्य के बलसाड़ और डांग जिलों की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा ।

[सं. एफ. 1-11/83-आर.आर.बी. (1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 22nd February, 1984

S.O. 109(E).—In exercise of the powers con- d by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government, on being requested so to do by Bank of Baroda establishes, with effect from the 23-2-1984 a Regional Rural Bank in the State of Gujarat under the name of Valsad-Dangs Gramin Bank, which shall operate within the local limits of the Districts of Valsad and Dangs in the State of Gujarat.

[No F. 1-11|83-RRB(I)]

का. आ. 110(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बलसाड़ डांग ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक आफ बड़ौदा से परामर्श करके, बलसार को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहां पर बलसाड़-डांग ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा ।

[सं. एफ. 1-11/83-आर.आर.बी. (2)]

S.O. 110(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Bank of Baroda by which Valsad-Dangs Gramin Bank has been sponsored specifies Bulsar as the place where Valsad-Dangs Gramin Bank shall have its head office.

[No F. 1-11|83-RRB(II)]

का. आ. 111(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए, बलसाड़ डांग ग्रामीण बैंक को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. एफ. 1-11/83-आर.आर.बी. (3)]

S.O. 111(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Central Government hereby notifies, for the purpose of the said sub-clause, Valsad-Dangs Gramin Bank, Bulsar being an institution established under sub-section (1) of Section 3 of the Regional Rural Banks Act. 1976 (21 of 1976).

[No F. 1-11|83-RRB(III)]

का. आ. 112(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री डी. डी. पटेल को बलसाड़ डांग ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 23-2-1984 से प्रारम्भ होकर 28-2-1987 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री डी. डी. पटेल अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ. 1-11/83-आर.आर.बी. (4)]

अशोक चन्द्र, संयुक्त सचिव

S.O. 112(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri D. D. Patel as Chairman of the Valsad-Dangs Gramin Bank, Bulsar and specifies the period commencing on the 23-2-1984 and ending with the 28-2-1987 as the period for which the said Shri D. D. Patel shall hold office as such Chairman.

[No F. 1-11|83-RRB(IV)]

ASHOK CHANDRA, Jt. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

ग्रामीण आयोजना तथा ऋण विभाग

अधिसूचना

बम्बई, 23 फरवरी, 1984

का. आ. 113(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात् :—

"बलसाड़-डांग ग्रामीण बैंक बलसार (गुजरात)"

[आर.पी.सी.डी. संख्या 274/आई.एन.सी.एल/311/83]

टी. एन. अनन्तारामा अय्यर, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

RURAL PLANNING & CREDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Bombay, the 23rd February, 1984

S.O. 113(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank namely :

"Valsad-Dangs Gramin Bank, Bulsar (Gujarat)".

[Ref. RPCD. No. 274|INCL|311-83].

T. N. ANANTHARAM IYER, Executive Director.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984